Times of Karnavathi

Headline: Investors Beware

રોકાણકારો સાવધાન

એક્સચેન્જના ધ્યાન ઉપર આવ્યું છે કે "ઇક્વિટી એક્સપ્રેસ" નામની કંપની સાથે સંકળાયેલા "ફર્ઝ સિંઘ" નામના વ્યક્તિ મોબાઇલ નંબર "૭૬૪૯૮૯૪૨૧૪" દ્વારા ઓપરેટ કરીને શેરમાર્કેટમાં રોકાણ ઉપર ખાતરીપૂર્વક વળતર અને ટ્રેડિંગ માટે સિક્યુરિટીઝ માર્કેટ ટિપ્સ આપી રહ્યાં છે.

રો કાણ કારો ને ચેતવણી અને સલાહ આપવામાં આવે છે કે શેરબજારમાં સૂચક/ખાતરી પૂર્વકના/ ગેરંટેડ વળતર આપતી કોઈપણ વ્યક્તિ દ્વારા ઓફર કરવામાં આવતી આવી કોઈપણ સ્કીમ/પ્રોડક્ટ સબ્સ્કાઇબ ન કરવી કારણ કે તે કાયદા દ્વારા પ્રતિબંધિત છે. અત્રે એ પણ નોંધનીય છે કે આ વ્યક્તિ/કંપની નેશનલ સ્ટોક એક્સચેન્જ ઓફ ઈન્ડિયા લિમિટેડના કોઈપણ રજિસ્ટર્ડ સદસ્યના સભ્ય અથવા અધિકૃત વ્યક્તિ તરીકે નોંધાયેલી નથી.

એક્સચેન્જે તેની વેબસાઈટ પર રૅજ:/ ૂ_.હજીહલેંક.ર્જદ્વીહદ્વીજં/કેહલ-ક-ર્જા કાર્તિ લિંક હેઠળ "નો/લોકેટ યોર સ્ટોક બ્રોકર" ની સુવિધા પૂરી પાડી છે, જેથી નોંધાયેલા સભ્ય અને અધિકૃત વ્યક્તિઓની વિગતો તપાસી શકાય. વધુમાં, એક્સચેન્જમાં ટ્રેડિંગ સભ્યો દ્વારા જાહેર કરાયેલા રોકાણકારો પાસેથી નાણાં મેળવવા/ ચકવવા માટે ક્લાયન્ટ બેંક એકાઉન્ટ તરીકે નામ આપવામાં આવેલ નિયુક્ત બેંક ખાતાઓ પણ ઉપરોક્ત લિંક હેઠળ પ્રદર્શિત થાય છે. કોઈપણ એન્ટિટી સાથે વ્યવહાર કરતી વખતે રોકાણકારોને વિગતો તપાસવાની સલાહ આપવામાં આવે છે. આવી પ્રતિબંધિત સ્ક્રીમોમાં ભાગ લેવો રોકાશકારના પોતાના જોખમ, ખર્ચ અને પરિણામો ઉપર છે કારણ કે આવી સ્કીમને એક્સચેન્જ દ્વારા ન તો મંજૂર કરવામાં આવે છે કે ન તો તેને સમર્થન આપવામાં આવે છે.

Headline: Warning For Investors

निवेशकों के लिए चेतावनी

एक्सचेंज के ध्यान में लाया गया है कि मोबाइल नंबर च्ट7649894214 के माध्यम से संचालित होने वाली च्हिकटी एक्सप्रेस नामक इकाई से जुड़ा च्फर्ज सिंह नाम का व्यक्ति ट्रेडिंग के लिए सिक्योरिटी नार्किट टिप्स प्रदान कर रहा है और शेयर बाजार में निवेश पर रिटर्न का आश्वासन दे रहा है। निवेशकों को सावधान किया जाता है और सलाह दी जाती है कि वे शेयर बाजार में सांकेतिक/सुनिश्चित/गारंटी रिटर्न की पेशकश करने वाले किसी भी व्यक्ति/इकाई द्वारा पेश की गई ऐसी किसी भी स्कीम/ प्रॉडक्ट की सदस्यता न लें क्योंकि यह कानून द्वारा निषद्ध है। यह भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि उक्त व्यक्ति/इकाई नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड के किसी भी पंजीकृत सदस्य के सदस्य या अधिकृत व्यक्ति के रूप में पंजीकृत नहीं हैं

नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा निवेशकों के लिए चेतावनी

मुंबई ब्यूरो■जबलपुर दर्पण www.jabalpurdarpan.in

एक्सचेंज के ध्यान में लाया गया मोबाइल नंबर ₹7649894214₹ के माध्यम से संचालित होने वाली ₹इक्विटी एक्सप्रेस₹ नामक इकाई से जुडा ₹फर्ज सिंह₹ नाम का व्यक्ति टेडिंग के लिए सिक्योरिटीज मार्केट टिप्स प्रदान कर रहा है और शेयर बाजार में निवेश पर रिटर्न का आश्वासन दे रहा है।निवेशकों को सावधान किया जाता है और सलाह दी जाती है कि शेयर बाजार सांकेतिक/सुनिश्चित/गारंटी रिटर्न की पेशकश करने वाले किसी भी व्यक्ति/इकाई द्वारा पेश की गई ऐसी भी स्कीम/प्रॉडक्ट की सदस्यता न लें क्योंकि यह कानून द्वारा निषिद्ध है। यह भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि उक्त व्यक्ति/इकाई पंजीकृत सदस्य के सदस्य या अधिकृत व्यक्ति के रूप में पंजीकृत उपलब्ध नहीं होगा ।

नहीं हैं। एक्सचेंज ने पंजीकृत सदस्य और इसके अधिकृत व्यक्तियों के विवरण की जांच करने के लिए अपनी वेबसाइट पर लिंक के तहत ₹अपने स्टॉक ब्रोकर को जानें/पता लगाएं₹ की सुविधा प्रदान की है। इसके अलावा, ट्रेडिंग सदस्यों द्वारा एक्सचेंज को बताए गए निवेशकों से धन प्राप्त करने/भुगतान करने के लिए ग्राहक बैंक खातों के रूप में नामित निर्दिष्ट बैंक खाते भी उक्त लिंक के तहत प्रदर्शित किए जाते हैं। निवेशकों को सलाह दी जाती है कि वे किसी भी इकाई के साथ लेनदेन करते समय विवरण की जांच करें।ऐसी निषिद्ध योजनाओं में भागीदारी निवेशकों के अपने जोखिम, लागत और परिणामों पर है क्योंकि ऐसी योजनाएं न तो एक्सचेंज द्वारा अनुमोदित हैं और न ही समर्थित हैं। निवेशक ध्यान दें कि ऐसी निषिद्ध नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ योजनाओं से संबंधित किसी भी इंडिया लिमिटेड के किसी भी प्रकार के विवाद के लिए निवेशकों को निम्नलिखित में से कोई भी सहारा

नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा निवेशकों के लिए चेतावनी

मुबंई (आरएनएस) एक्सचेंज के ध्यान में लाया गया है कि मोबाइल नंबर 7649894214 के माध्यम से संचालित होने वाली इक्विटी एक्सप्रेस नामक इकाई से जुड़ा फर्ज सिंह नाम का व्यक्ति ट्रेडिंग के लिए सिक्योरिटीज मार्केट टिप्स प्रदान कर रहा है और शेयर

बाजार में निवेश पर रिटर्न का आश्वासन दे रहा है। निवेशकों को सावधान किया जाता है और सलाह दी जाती है कि वे शेयर बाजार में सांकेतिक/सुनिश्चित/गारंटी रिटर्न की पेशकश करने वाले किसी भी व्यक्ति/इकाई द्वारा पेश की गई ऐसी किसी भी स्कीम/प्रॉडक्ट की सदस्यता न लें क्योंकि यह कानून द्वारा निषिद्ध है। यह भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि उक्त व्यक्ति/इकाई नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड के किसी भी

पंजीकृत सदस्य के सदस्य या अधिकृत व्यक्ति के रूप में पंजीकृत नहीं हैं। एक्सचेंज ने पंजीकृत सदस्य और इसके अधिकृत व्यक्तियों के विवरण की जांच करने के लिए अपनी वेबसाइट पर लिंक के तहत अपने स्टॉक ब्रोकर को

जानें/पता लगाएं की सुविधा प्रदान की है। इसके अलावा, ट्रेडिंग सदस्यों द्वारा एक्सचेंज को बताए गए निवेशकों से धन प्राप्त करने/भुगतान करने के लिए ग्राहक बैंक खातों के रूप में नामित निर्दिष्ट बैंक खाते भी उक्त लिंक के तहत प्रदर्शित किए जाते हैं। निवेशकों को सलाह दी जाती है कि वे किसी भी इकाई के साथ लेनदेन करते समय विवरण की जांच करें।ऐसी निषद्ध योजनाओं में भागीदारी निवेशकों के अपने जोखिम, लागत और परिणामों पर है

नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा निवेशकों के लिए चेतावनी



जबलपुर। एक्सचेंज के ध्यान में लाया गया है कि मोबाइल नंबर 7649894214 के माध्यम से संचालित होने वाली इक्किटी एक्सप्रेस नामक इकाई से जुड़ा फर्ज सिंह नाम का व्यक्ति ट्रेडिंग के लिए सिक्योरिटीज मार्केट टिप्स प्रदान कर रहा है और शेयर बाजार में निवेश पर रिटर्न का आश्वासन दे रहा है। निवेशकों को सावधान किया जाता है और सलाह दी जाती है कि वे शेयर बाजार में सांकेतिक/सुनिश्चित/गारंटी रिटर्न की पेशकश करने वाले किसी भी व्यक्ति/इकाई द्वारा पेश की गई ऐसी

किसी भी स्कीम/प्रॉडक्ट की सदस्यता न लें क्योंकि यह कानून द्वारा निषिद्ध है। यह भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि उक्त व्यक्ति/इकाई नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड के किसी भी पंजीकृत सदस्य के सदस्य या अधिकृत व्यक्ति के रूप में पंजीकृत नहीं हैं। एक्सचेंज ने पंजीकृत सदस्य और इसके अधिकृत व्यक्तियों के विवरण की जांच करने अपनी वेबसाइट https://www.nseindia.com/invest/f ind-a-stock-broker लिंक के तहत अपने स्टॉक ब्रोकर को जानें/पता लगाएं की सुविधा प्रदान की है। इसके अलावा, ट्रेडिंग सदस्यों द्वारा एक्सचेंज को बताए गए निवेशकों से धन प्राप्त करने/भुगतान करने के लिए ग्राहक बैंक खातों के रूप में नामित निर्दिष्ट बैंक खाते भी उक्त लिंक के तहत प्रदर्शित किए जाते हैं। निवेशकों को सलाह दी जाती है कि वे किसी भी इकाई के साथ लेनदेन

करते समय विवरण की जांच करें।

नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा निवेशकों के लिए चेतावनी

मुंबई - एक्सचेंज के ध्यान में लाया गया है कि मोबाइल नंबर +7649894214+ के माध्यम से संचालित होने वाली +इक्किटी एक्सप्रेस+ नामक इकाई से जुड़ा +फर्ज सिंह+ नाम का व्यक्ति ट्रेडिंग के लिए सिक्योरिटीज मार्केट टिप्स प्रदान कर रहा है और शेयर बाजार में निवेश पर रिटर्न का आश्वासन दे रहा है।

निवेशकों को सावधान किया जाता है और सलाह दी जाती है कि वे शेयर बाजार में सांकेतिक/सुनिश्चित/गारंटी रिटर्न की पेशकश करने वाले किसी भी व्यक्ति/इकाई द्वारा पेश की गई ऐसी किसी भी स्कीम/प्रॉडक्ट की सदस्यता न लें क्योंकि यह कानून द्वारा निषद्ध है। यह भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि उक्त व्यक्ति/इकाई नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड के किसी भी पंजीकृत सदस्य के सदस्य या अधिकृत व्यक्ति के रूप में पंजीकृत नहीं हैं। एक्सचेंज ने पंजीकृत सदस्य और इसके अधिकृत व्यक्तियों के विवरण की जांच करने के लिए अपनी वेबसाइट पर https://www.nseindia.com/invest/find-a-stock-इह्श्यद्दह लिंक के तहत +अपने स्टॉक ब्रोकर को जाने/पता लगाएं की सुविधा प्रदान की है। इसके अलावा, ट्रेडिंग सदस्यों द्वारा एक्सचेंज को बताए गए निवेशकों से धन प्राप्त करने/भुगतान करने के लिए ग्राहक बैंक खातों के रूप में नामित निर्दिष्ट बैंक खाते भी उक्त लिंक के तहत प्रदर्शित किए जाते हैं। निवेशकों को सलाह दी जाती है कि वे किसी भी इकाई के साथ लेनदेन करते समय विवरण की जांच करें।

ऐसी निषिद्ध योजनाओं में भागीदारी निवेशकों के अपने जोखिम, लागत और परिणामों पर है क्योंकि ऐसी योजनाएं न तो एक्सचेंज द्वारा अनुमोदित हैं और न ही समर्थित हैं।

निवेशक ध्यान दें कि ऐसी निषिद्ध योजनाओं से संबंधित किसी भी प्रकार के विवाद के लिए निवेशकों को निम्नलिखित में से कोई भी सहारा उपलब्ध नहीं होगा-

- 1. एक्सचेंज के अधिकार क्षेत्र के तहत निवेशक सरक्षा के लाभ
- 2. विवाद समाधान से संबन्धित एक्सचेंज मेकेनिज्म
- एक्सचेंज द्वारा प्रशासित निवंशक शिकायत निवारण तंत्र निवंशकों को उपरोक्त बातों पर ध्यान देने की सलाह दी जाती है। निवंशकों के हित में जारी

Vindhya Bharat

Headline: Warning to Investors by National Stock Exchange of India Limited

नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा निवेशकों के लिए चेतावनी

निवेश पर रिटर्न का आश्वासन दे रहा विवरण की जांच करें।

करने वाले किसी भी व्यक्ति/इकाई ही समर्थित हैं। द्वारा पेश की गई ऐसी किसी भी

कि उक्त व्यक्ति/इकाई नेशनल स्टॉक सहारा उपलब्ध नहीं होगा-एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड के किसी भी पंजीकृत सदस्य के सदस्य के तहत निवेशक सुरक्षा के लाभ या अधिकृत व्यक्ति के रूप में पंजीकृत नहीं हैं। एक्सचेंज ने एक्सचेंज मेकेनिज्म पंजीकृत सदस्य और इसके अधिकृत व्यक्तियों के विवरण की निवेशक शिकायत निवारण तंत्र जांच करने के लिए अपनी वेबसाइट निवेशकों को उपरोक्त बातों पर पर लिंक के तहत अपने स्टॉक ध्यान देने की सलाह दी जाती है।

सुविधा प्रदान की है। इसके अलावा, एक्सचेंज के ध्यान में लाया गया ट्रेडिंग सदस्यों द्वारा एक्सचेंज को मोबाइल नंबर बताए गए निवेशकों से धन प्राप्त 7649894214 के माध्यम से करने/भुगतान करने के लिए ग्राहक संचालित होने वाली इक्विटी बैंक खातों के रूप में नामित निर्दिष्ट एक्सप्रेस नामक इकाई से जुड़ा फर्ज बैंक खाते भी उक्त लिंक के तहत सिंह नाम का व्यक्ति ट्रेडिंग के लिए प्रदर्शित किए जाते हैं। निवेशकों को सिक्योरिटीज मार्केट टिप्स प्रदान सलाह दी जाती है कि वे किसी भी कर रहा है और शेयर बाजार में इकाई के साथ लेनदेन करते समय

ऐसी निषद्ध योजनाओं में निवेशकों को सावधान किया भागीदारी निवेशकों के अपने जाता है और सलाह दी जाती है कि वे जोखिम, लागत और परिणामों पर है शेयर बाजार में सांकेतिक/ क्योंकि ऐसी योजनाएं न तो सुनिश्चित/गारंटी रिटर्न की पेशकश एक्सचेंज द्वारा अनुमोदित हैं और न

निवेशक ध्यान दें कि ऐसी निषद्ध स्कीम/प्रॉडक्ट की सदस्यता न लें योजनाओं से संबंधित किसी भी क्योंकि यह कानून द्वारा निषद्ध है। प्रकार के विवाद के लिए निवेशकों यह भी ध्यान दिया जाना चाहिए को निम्नलिखित में से कोई भी

- 1. एक्सचेंज के अधिकार क्षेत्र
- 2. विवाद समाधान से संबन्धित
- 3. एक्सचेंज द्वारा प्रशासित

Good Morning

Headline: Warning to Investors by National Stock Exchange Limited

नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा निवेशकों के लिए चेतावनी

गुड मार्निंग, जबलपुर। एक्सचेंज के ध्यान में लाया गया है कि मोबाइल नंबर 7649894214 के माध्यम से संचालित होने वाली इक्विटी एक्सप्रेस नामक इकाई से जुड़ा फर्ज सिंह नाम का व्यक्ति ट्रेडिंग के लिए सिक्योरिटीज मार्केट टिप्स प्रदान कर रहा है और शेयर बाजार में निवेश पर रिटर्न का आश्वासन दे रहा है। निवेशकों को सावधान किया जाता है और सलाह दी जाती है कि वे शेयर बाजार में सांकेतिक सुनिश्चित गारंटी रिटर्न की पेशकश करने वाले किसी भी व्यक्ति, इकाई द्वारा पेश की गई ऐसी किसी भी स्कीम, प्रोडक्ट की सदस्यता न लें, क्योंकि यह कानून द्वारा निषिद्ध है। यह भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि उक्त व्यक्ति इकाई नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड के किसी भी पंजीकृत सदस्य के सदस्य या अधिकृत व्यक्ति के रूप में पंजीकृत नहीं हैं।

नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा निवेशकों के लिए चेतावनी

मुंबई (बी) एक्सचेंज के ध्यान में लाया गया है कि मोबाइल नंबर 7649894214 के माध्यम से संचालित होने वाली इक्विटी एक्सप्रेस नामक इकाई से जुड़ा फर्ज सिंह नाम का व्यक्ति ट्रेडिंग के लिए सिक्योरिटीज मार्केट टिप्स प्रदान कर रहा है और शेयर बाजार में निवेश पर रिटर्न का आश्वासन दे रहा है। निवेशकों को सावधान किया जाता है और सलाह दी जाती है कि वे शेयर बाजार में सांकेतिक/सुनिश्चित/गारंटी रिटर्न की पेशकश करने वाले किसी भी व्यक्ति/इकाई द्वारा पेश की गई ऐसी किसी भी स्कीम/प्रॉडक्ट की सदस्यता न लें क्योंकि यह कानून द्वारा निषद्ध है। यह भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि उक्त व्यक्ति/इकाई नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड के किसी भी पंजीकृत सदस्य के सदस्य या अधिकृत व्यक्ति के रूप में पंजीकृत नहीं हैं। एक्सचेंज ने पंजीकृत सदस्य और इसके अधिकृत व्यक्तियों के विवरण की जांच करने के लिए अपनी वेबसाइट पर लिंक के तहत अपने स्टॉक ब्रोकर को जानें/पता लगाएं की सुविधा प्रदान की है।

नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा निवेशकों के लिए चेतावनी

मोबाइल नंबर 7649894214 के माध्यम से संचालित होने वाली हक्किटी एक्सप्रेस नामक इकाई से जुड़ा फर्ज सिंह नाम का व्यक्ति ट्रेडिंग के लिए सिक्योरिटीज भी इकाई के साथ लेनदेन करते समय विवरण की मार्केट टिप्स प्रदान कर रहा है और शेयर बाजार में जांच करें। निवेश पर रिटर्न का आश्वासन दे रहा है।

दी जाती है कि वे शेयर बाजार में ऐसी योजनाएं न तो एक्सचेंज द्वारा अनुमोदित हैं औ सांकेतिक/सुनिश्चित/गारंटी रिटर्न की पेशकश करने न ही समर्थित हैं। वाले किसी भी व्यक्ति/इकाई द्वारा पेश की गई ऐसी किसी भी स्कीम/प्रॉडक्ट की सदस्यता न लें क्योंकि संबंधित किसी भी प्रकार के विवाद के लिए निवेशक यह कानून द्वारा निषिद्ध है। यह भी ध्यान दिया जाना को निम्नलिखित में से कोई भी सहारा उपलब्ध नहीं चाहिए कि उक्त व्यक्ति/इकाई नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड के किसी भी पंजीकृत सदस्य के सदस्य या अधिकृत व्यक्ति के रूप में पंजीकृत नहीं हैं। एक्सचेंज ने पंजीकत सदस्य और इसके अधिकत व्यक्तियों के विवरण की जांच करने के लिए अपनी वेबसाइट पर https:// www. nseindia. com/ invest/find-a-stock-broker लिंक के तहत अपने स्टॉक ब्रोकर को जानें/पता लगाएं की सुविधा प्रदान की है। इसके अलावा, ट्रेडिंग सदस्यों द्वारा एक्सचेंज सलाह दी जाती है। को बताए गए निवेशकों से धन प्राप्त करने/भुगतान

मंबई । एक्सचेंज के ध्यान में लाया गया है कि करने के लिए ग्राहक बैंक खातों के रूप में नामित निर्दिष्ट बैंक खाते भी उक्त लिंक के तहत प्रदर्शित किए जाते हैं। निवेशकों को सलाह दी जाती है कि वे किस

ऐसी निषद्ध योजनाओं में भागीदारी निवेशकों वे निवेशकों को सावधान किया जाता है और सलाह अपने जोखिम, लागत और परिणामों पर है क्योंकि

निवेशक ध्यान दें कि ऐसी निषिद्ध योजनाओं है

- 1. एक्सचेंज के अधिकार क्षेत्र के तहत निवेशक सुरक्षा के लाभ
- 2. विवाद समाधान से संबन्धित एक्सचेंड मेकेनिज्म
- 3. एक्सचेंज द्वारा प्रशासित निवेशक शिकायः निवारण तंत्र

निवेशकों को उपरोक्त बातों पर ध्यान देने कं

निवेशकों के हित में जारी

Janpaksh

Headline: Warning to Investors by National Stock Exchange Limited

नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा निवेशकों के लिए चेतावनी

मंबई, 24 अगस्त। एक्सचेंज के ध्यान में लाया गया है कि मोबाइल नंबर 7649894214 के माध्यम से संचालित होने वाली इक्विटी एक्सप्रेस नामक इकाई से जुड़ा फर्ज सिंह नाम का व्यक्ति देखिंग के लिए सिक्योरिटीज मार्केट टिप्स प्रदान कर रहा है और शेयर बाजार में निवेश पर रिटर्न का आश्वासन दे रहा है। निवेशकों को सावधान किया जाता है और सलाह दी जाती है कि वे शेयर बाजार में सांकेतिक/सनिश्चित/गारंटी रिटर्न की पेशकश करने वाले किसी भी व्यक्ति/इकाई द्वारा पेश की गई ऐसी किसी भी स्कीम/प्रॉडक्ट की सदस्यता न लें क्योंकि यह कानून द्वारा निषद्ध है। यह भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि उक्त व्यक्ति/इकाई नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड के किसी भी पंजीकृत सदस्य के सदस्य या अधिकृत व्यक्ति के रूप में पंजीकृत नहीं हैं। एक्सचेंज ने पंजीकृत सदस्य और इसके अधिकृत व्यक्तियों के विवरण की जांच करने के लिए अपनी वेबसाइट पर लिंक के तहत अपने स्टॉक ब्रोकर को जानें/पता लगाएं की सुविधा प्रदान की है। इसके अलावा, ट्रेडिंग सदस्यों द्वारा एक्सचेंज को बताए गए निवेशकों से धन प्राप्त करने/भूगतान करने के लिए ग्राहक बैंक खातों के रूप में नामित निर्दिष्ट बैंक खाते भी उक्त लिंक के तहत प्रदर्शित किए जाते हैं।

निवेशकों को धोखाधड़ी से बचाने चेतावनी जारी

मुंबई। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एनएसई के ध्यान में लाया गया है कि इक्विटी एक्सप्रेस नामक इकाई से जुड़ा फर्ज सिंह नाम का व्यक्ति मोबाइल से ट्रेडिंग के लिए सिक्योरिटीज मार्केट टिप्स प्रदान कर रहा है और शेयर बाजार में निवेश पर रिटर्न का आश्वासन दे रहा है। निवेशकों को सावधान किया जाता है और सलाह दी जाती है कि वे शेयर बाजार में सांकेतिक, सुनिश्चित गारंटी रिटर्न की पेशकश करने वाले किसी भी व्यक्ति, इकाई द्वारा पेश की गई ऐसी किसी भी स्कीम, प्रॉडक्ट की सदस्यता न लें क्योंकि यह कानून द्वारा निषद्ध है। यह भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि उक्त व्यक्ति, इकाई नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया के किसी भी पंजीकृत सदस्य के सदस्य के रूप में पंजीकृत नहीं हैं। एक्सचेंज ने पंजीकृत सदस्य और इसके अधिकृत व्यक्तियों की जांच करने के लिए अपनी एनएसईइंडिया डॉटकॉम वेबसाइट पर अपने स्टॉक ब्रोकर को जानें, पता लगाएं की सुविधा प्रदान की है। निवेशकों को सलाह दी जाती है कि वे किसी भी इकाई के साथ लेनदेन करते समय विवरण की जांच करें।

Swatantra Mat

Headline: Warning to Investors by National Stock Exchange Limited

एनएसई ने निवेशकों को किया सतर्क

मुंबई।

एक्सचेंज के ध्यान में लाया गया है कि इक्विटी एक्सप्रेस नामक इकाई से जुड़ा फर्ज सिंह नाम का व्यक्ति ट्रेडिंग के लिए सिक्योरिटीज मार्केट टिप्स प्रदान कर रहा है और शेयर बाजार में निवेश पर रिटर्न का आश्वासन दे रहा है। निवेशकों को सावधान किया जाता है और सलाह दी जाती है कि वे शेयर बाजार में सांकेतिक, सुनिश्चित, गारंटी रिटर्न की पेशकश करने वाले किसी भी व्यक्ति या इकाई द्वारा पेश की गई ऐसी किसी भी स्कीम या प्रॉडक्ट की सदस्यता न लें क्योंकि यह कानून द्वारा निषिद्ध है। यह भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि उक्त व्यक्ति या इकाई नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड के किसी भी पंजीकृत सदस्य के सदस्य या अधिकृत व्यक्ति के रूप में पंजीकृत नहीं हैं।



नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा निवेशकों के लिए जारी की चेतावनी

जबलपुर, यशभारत। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा निवेशकों के लिए चेतावनी जारी की गई है। मुंबई एक्सचेंज के द्वारा बताया गया है कि मोबाइल नंबर 7649894214 के माध्यम से संचालित होने वाली इक्विटी एक्सप्रेस नामक इकाई से जुड़ा फर्ज सिंह नाम का व्यक्ति ट्रेडिंग के लिए सिक्योरिटीज मार्केट टिप्स प्रदान कर रहा है और शेयर बाजार में निवेश पर रिटर्न का आश्वासन दे रहा है। निवेशकों को सावधान किया जाता है और सलाह दी जाती है कि वे शेयर बाजार में सांकेतिक/सुनिश्चत/गारंटी रिटर्न की

पेशकश करने वाले किसी भी व्यक्ति/इकाई द्वारा पेश की गई ऐसी किसी भी स्कीम/प्रोडक्ट की सदस्यता न लें क्योंकि यह कानून द्वारा निषिद्ध है। यह भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि उक्त व्यक्ति/इकाई नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड के किसी भी पंजीकृत सदस्य के सदस्य या अधिकृत व्यक्ति के रूप में पंजीकृत नहीं हैं। एक्सचेंज ने पंजीकृत सदस्य और इसके अधिकृत व्यक्तियों के विवरण की जांच करने के लिए अपनी वेबसाइट पर अपने स्टॉक ब्रोकर के बारे में जानने की स्विधा प्रदान की है।

नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा निवेशकों के लिए चेतावनी

मुबंई (आरएनएस) एक्सचेंज के ध्यान में लाया गया है कि मोबाइल नंबर 7649894214 के माध्यम से संचालित होने वाली इक्विटी एक्सप्रेस नामक इकाई से जुड़ा फर्ज सिंह नाम का व्यक्ति ट्रेडिंग के लिए सिक्योरिटीज मार्केट टिप्स प्रदान कर रहा है और शेयर बाजार में निवेश पर रिटर्न का आश्वासन दे रहा है। निवेशकों को सावधान किया जाता है और सलाह दी जाती है कि वे शेयर बाजार में

सांकेतिक/सुनिश्चित/गारंटी रिटर्न की पेशकश करने वाले किसी भी व्यक्ति/इकाई द्वारा पेश की गई ऐसी किसी भी स्कीम/प्रॉडक्ट की सदस्यता न लें क्योंकि यह कानन द्वारा निषिद्ध है। यह भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि उक्त व्यक्ति/इकाई नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड के किसी भी पंजीकृत सदस्य के सदस्य या अधिकृत व्यक्ति के रूप में पंजीकृत नहीं हैं। एक्सचेंज ने पंजीकृत सदस्य और इसके

अधिकृत व्यक्तियों के विवरण की जांच करने के लिए अपनी वेबसाइट पर लिंक के तहत अपने स्टॉक ब्रोकर को जानें/पता लगाएं की सुविधा प्रदान की है। इसके अलावा, ट्रेडिंग सदस्यों द्वारा एक्सचेंज को बताए गए निवेशकों से धन प्राप्त करने/भुगतान करने के लिए ग्राहक बैंक खातों के रूप में नामित निर्दिष्ट बैंक खाते भी उक्त लिंक के तहत प्रदर्शित किए जाते हैं। निवेशकों को सलाह दी जाती है कि

वे किसी भी इकाई के साथ लेनदेन करते समय विवरण की जांच करें ऐसी निषद्ध योजनाओं में भागीदारी निवेशकों के अपने जोखिम. लागत और परिणामों पर है क्योंकि ऐसी योजनाएं न तो एक्सचेंज द्वारा अनुमोदित हैं और न ही समर्थित हैं। निवेशक ध्यान दें कि ऐसी निषद्ध योजनाओं से संबंधित किसी भी प्रकार के विवाद के लिए निवेशकों को निम्नलिखित में से कोई भी सहारा उपलब्ध नहीं होगा-

See Times

Headline: Warning to Investors by National Stock Exchange Limited

नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा निवेशकों के लिए चेतावनी

गया है कि मोबाइल नंबर 7649894214 के माध्यम से संचालित होने वाली इक्विटी एक्सप्रेसनामक इकाई से जुडा फर्ज सिंह नाम का व्यक्ति ट्रेडिंग के लिए सिक्योरिटीज मार्केट टिप्स प्रदान कर रहा है और शेयर बाजार में निवेश पर रिटर्न का आश्वासन दे रहा है।

निवेशकों को सावधान किया जाता है और सलाह दी जाती है कि वे शेयर बाजार में सांकेतिक/सुनिश्चित/गारंटी रिटर्न की पेशकश करने वाले किसी भी व्यक्ति/इकाई द्वारा पेश की गई ऐसी किसी भी रकीन/ग्रॉडक्ट की सदस्यता न लें क्योंकि यह कानून द्वारा निषिद्ध

मुंबई एक्सचेंज के ध्यान में लाया है। यह भी ध्यान दिया जाना चाहिए धन प्राप्त करने/भुगतान करने के लिए कि उक्त व्यक्ति/इकाई नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड के किसी भी पंजीकृत सदस्य के सदस्य या अधिकृत व्यक्ति के रूप में पंजीकृत नहीं हैं। एक्सचेंज 'ने पंजीकृत सदस्य और इसके अधिकृत व्यक्तियों के विवरण की जांच करने के लिए अपनी वेबसाइट पर https://www.nseindia. com/invest/find-astock-broker लिंक के तहत अपने स्टॉक ब्रोकर को जानें/पता लगाएं÷ की सुविधा प्रदान की है। इसके अलावा, ट्रेडिंग सदस्यों द्वारा एक्सचेंज को बताएं गए निवेशकों से

ग्राहक बैंक खातों के रूप में नामित निर्दिष्ट बैंक खाते भी उक्त लिंक के तहत प्रदर्शित किए जाते हैं। निवेशकों को सलौंह दी जाती है कि वे किसी भी इकाई के साथ लेनदेन करते समय विवरण की जांच करें। ऐसी निषिद्ध योजनाओं में भागीदारी निवेशकों के अपने जोखिम, लागत और परिणामों पर है क्योंकि ऐसी योजनाएं न तो एक्सचेंज द्वारा अनुमोदित हैं आर न ही समर्थित हैं। निवेशक ध्यान दें कि ऐसी निषद्ध योजनाओं से संबंधित किसी भी प्रकार के विवाद के लिए निवेशकों को निम्नलिखित में से कोई भी सहारा उपलब्ध नहीं होगा